बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) 08/2015 2696 (पशु) **दिनांक-** 14/11/2016

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 42/2014–2817 दिनांक–14.09.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3202 दिनांक–21.10.2016 के क्रम में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"

विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 42/2014 –2817 दिनांक–14.09.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3202 दिनांक–21.10.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रूपये 1658.00 लाख (सोलह करोड़ अन्ठावन लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य (एक इकाई) बकरी, इच्छुक बकरीपालकों/गरीब परिवारों के बीच जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरण तथा बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका–(B)–"निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान" एवं (C)–"प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं प्रचार–प्रसार" का कार्यान्वयन पशुपालन निदेशालय के द्वारा किया जाना है। तदनुसार संगत राज्यादेश की कंडिका–(B)-(Viii) के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता हैः–

1– उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान देकर स्वरोजगार का सृजन करना है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) राज्य में उन्नत नस्ल के बकरा एवं बकरी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों में इच्छुक किसानों अथवा परम्परागत बकरीपालकों के द्वारा बकरी फार्म की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

(ii) बिहार पशु प्रजनन नीति, 2011 में अनुशंसित नस्ल ब्लैक बंगाल के Goat Farm की निजी क्षेत्रों में स्थापना पर कुल लागत का 50% अनुदान देय होगा।

(iii) इस योजना के तहत 20 बकरी + 1 बकरा की इकाई स्थापित की जायेगी। इस इकाई की लागत रूपये 2.00 लाख आकलित है और इस पर स्थापना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख) अनुदान देय होगा।

(iv) राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले बकरी फार्मो में उत्पन्न स्वस्थ संतति को "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत राज्य के गरीब पशुपालकों के बीच वितरित किये जाने हेतु खुली निविदा के माध्यम से उस नस्ल हेतु निर्धारित दर पर क्रय किया जाएगा।

3– लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :–

(i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर** इच्छुक बकरीपालकों/गरीब परिवारों से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

(ii) **आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि** समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 45 (पैंतालिस) दिन होगी।

(iii) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक बकरीपालकों/गरीब परिवारों के सदस्यों को पशुपालन निदेशालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में ऑनलाईन/मैनुअल **आवेदन पत्र (प्रपत्र–1)** जमा करना होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन हेतु विभाग के वेबसाईट ahd.bih.nic.in पर दिये गये लिंक (link) पर जाकर आवेदक अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन समर्पित करते समय सभी आवश्यक कागजात ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा। आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक आवेदन–आई0डी0 एवं अपलोड किये गये दस्तावेज की सूची के साथ प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा। आवेदक जब चाहें वेबसाईट पर लॉग–इन कर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।

(v) ऑफलाईन या मैनुअल आवेदन विहित प्रपत्र में सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय को समर्पित किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही उसे जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर अपलोड कर आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त करने की क्रम संख्या/तिथि/समय इत्यादि अंकित रहेगा।

(vi) एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा तथा एक मतदाता आई.डी./आधार संख्या से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(vii) आवेदन के साथ भूमि उपलब्धता का साक्ष्य यथा–एल0पी0सी0, भू–राजस्व रसीद इत्यादि, आय प्रमाण पत्र एवं निधि की उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न करना अनिवार्य होगा। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि वे बकरी पालन के लिये विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक Criteria पूरा करते हैं।

(viii) लाभुकों को आधारभूत संरचना (Goat Farm) के निर्माण (बकरा/बकरी शेड के लिये 600 Sq. feet एवं खुला जगह लगभग 1200 Sq. feet अर्थात कुल 1800 Sq. feet) एवं हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बकरी फार्म (Goat Farm) का एक नजरी नक्शा भी जमा करना होगा।

(ix) बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक एवं परम्परागत बकरी पालक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण प्राप्त तथा अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को बकरीपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बकरीपालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा।

(x) अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। लाभुक चाहें तो बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं व्यय का वहन करें।

(xi) बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (यथा–अद्यतन बैंक पास बुक/बैंक सावधि जमा रसीद की छाया प्रति–संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित/राशि उपलब्धता का अन्य साक्ष्य) जमा करना अनिवार्य होगा।

(xii) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का आवेदन/स्वीकृति पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा।

(xiii) स्वलागत से बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने वाले लाभुक को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्त्ते कि उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये।

<u>4– लाभुक की चयन प्रक्रिया :–</u>

(i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) पशुपालन निदेशालय के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली **चार–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** के द्वारा की जायेगी जो निम्नवत् होगी :–

(क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय	–अध्यक्ष
(ख) प्रभारी पदाधिकारी (योजना), पशुपालन निदेशालय	–सदस्य
(ग) शोध पदाधिकारी, अवि–अजा शाखा, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	–सदस्य
(घ) नोडल पदाधिकारी/**Admin, Online Application System**	–सदस्य

(ii) उक्त **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। जाँच के क्रम में योग्य/अयोग्य पाये गये सभी आवेदको को ई–मेल (Online आवेदन की स्थिति में) एवं दूरभाष (Manual आवेदन की स्थिति में) के द्वारा सूचित किया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदको के द्वारा यदि कोई आपत्ति (अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर) की जाती है, तो उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा एक बैठक की जायेगी जिसमें आपत्ति किये गये अयोग्य आवेदको को उपस्थित रहना होगा। बैठक की तिथि की सूचना सभी अयोग्य पाये गये आवेदको को ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। सभी आपत्तियों का निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदको की जिला–वार सूची तैयार की जायेगी तथा सभी आवेदको को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी अथवा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) इसके उपरान्त **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार एवं जिलावार) से पाँच गुणा अधिक संख्या में योग्य आवेदको की सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार) से प्रथम चरण में तीन गुणा अधिक संख्या में एवं द्वितीय चरण में शेष योग्य आवेदको के आवेदन पत्र को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि कराया जायेगा।

(iv) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) अथवा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) रहेंगे। यदि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक में कोई भी पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(v) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवेदक द्वारा दिये गये सभी आवश्यक कागजात/साक्ष्य के जाँचोपरान्त सभी विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न **प्रपत्र–3** में अपनी अनुशंसा के साथ पशुपालन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की वरीयता सूची (कोटि–वार एवं जिलावार) तैयार की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का अंतिम रूप से चयन (कोटि–वार एवं जिलावार) किया जायेगा।

(vii) लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि/समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूची <u>**पहले आओ पहले पाओ**</u> के आधार पर तैयार की जायेगी।

(viii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** द्वारा किया जायेगा। लाभुकों के चयन हेतु **चयन समिति** का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) निदेशक, पशुपालन, बिहार	– अध्यक्ष।
(ख) संयुक्त निदेशक (मु0/प0स्वा0), पशुपालन निदेशालय	– सदस्य।
(ग) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	– सदस्य।

(ix) चयन समिति लक्ष्य और निधि की उपलब्धता के आलोक में उन आवेदकों का चयन करेगी जो निर्धारित Criteria को पूरा करते हों।

(x) चयन की योग्यता के Criteria को पूरा करने वाले आवेदकों के बीच लक्ष्य के अनुसार लाभुक का चयन करने में कम आय वाले को प्राथमिकता दी जायेगी यानि चयन निम्न आय वर्ग से शुरु होकर उच्च आय वर्ग की तरफ जायेगा।

(xi) **चयन समिति** द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभुकों के चयन संबंधी **स्वीकृति पत्र** विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–4)** में निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(xii) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुकों को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/– का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

<u>**5– बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :–**</u>

(i) लाभुक के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप **60 दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।

(ii) बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूँचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना हेतु चयनित सभी लाभुकों से प्राप्त तत्संबंधी प्रतिवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संकलित कर समेकित प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **60 दिनों के अंदर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में, संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iv) लाभुक को अनुमान्य अनुदान (अधिकतम रूपये 1.00 लाख) की राशि का भुगतान निदेशक, पशुपालन द्वारा लाभुक के बैंक खाता में एकमुश्त किया जायेगा।

(v) लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–5)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा आवेदन प्राप्ति के **20 दिनों के अंदर** स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

(vii) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** (बकरी फार्म के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान लाभुक के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा जिसकी विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य पशुपालन निदेशालय में संधारित किया जायेगा।

(ix) संगत राज्यादेश की कंडिका–12 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर **बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना** के खाता में रखी जायेगी। लाभुक को अनुदान की राशि का भुगतान उक्त खाता के माध्यम से किया जायेगा।

6– लक्ष्य :–

संगत राज्यादेश के अनुलग्नक–1 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला–वार/कोटि–वार लक्ष्य (लाभुकों की संख्या) का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (लाभुकों की संख्या)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	पटना	6	18	1	25
2	नालन्दा	6	12	0	18
3	भोजपुर	6	9	1	16

1	2	3	4	5	6
4	रोहतास	6	11	3	20
5	बक्सर	6	5	1	12
6	कैमूर	5	7	4	16
7	गया	6	26	1	33
8	जहानाबाद	5	4	0	9
9	नवादा	5	11	0	16
10	औरंगाबाद	5	12	0	17
11	अरवल	5	2	0	7
12	भागलपुर	6	6	6	18
13	बांका	5	5	8	18
14	मुंगेर	5	4	2	11
15	लखीसराय	5	3	1	9
16	जमुई	5	6	7	18
17	शेखपुरा	5	3	0	8
18	खगड़िया	5	5	0	10
19	मुजफ्फरपुर	6	15	1	22
20	हाजीपुर (वैशाली)	6	14	1	21
21	मोतिहारी	6	13	1	20
22	सीतामढ़ी	6	8	0	14
23	शिवहर	5	3	0	8
24	बेतिया	6	11	5	22
25	दरभंगा	6	13	0	19
26	मधुबनी	6	12	0	18
27	समस्तीपुर	6	16	1	23
28	बेगुसराय	6	9	0	15
29	पूर्णियाँ	5	8	12	25
30	कटिहार	5	5	15	25
31	अररिया	5	7	3	15
32	किशनगंज	5	3	5	13
33	सहरसा	5	6	0	11
34	मधेपुरा	5	7	1	13
35	सुपौल	5	6	1	12
36	छपरा	5	10	1	16
37	सीवान	5	8	1	14
38	गोपालगंज	5	7	1	13
	कुल योग	**206**	**330**	**84**	**620**

7– योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

(ii) पशुपालन निदेशालय द्वारा जिला–वार लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड (Upload) की जायेगी तथा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराई जायेगी जिसे संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी

(iii) जिला अन्तर्गत स्थापित बकरी फार्म के बकरा–बकरी की स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार नियमित रूप से किया जाएगा।

(iv) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को **बकरी फार्म (Goat Farm) का मासिक प्रगति प्रतिवेदन** समर्पित करना अनिवार्य होगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी बकरी फार्म से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(vi) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

Sd/- 14/11/16

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 08/2015 2696 (नि0)/पटना–15, दिनांक– 14/11/2016

website

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 14/11/16

निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–1

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय में सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ समर्पित किया जायेगा। तत्पश्चात् जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड (Upload) किया जायेगा)

---

1. आवेदक का नाम :– ....

2. पिता का नाम :– ....

3. जन्म तिथि :– ....

4. उम्र :– ....(पूर्ण वर्षों में)

5. शैक्षणिक योग्यता :– ....

6. पेशा :– ....

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।

7. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) :– ....

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8. स्थायी पता :–

ग्राम – .... पो0– ....

थाना – .... प्रखंड – ....

पिन कोड – .... जिला – ....

8. दूरभाष/मोबाईल नं0–: ....

9. बकरीपालन में प्राप्त प्रशिक्षण/बकरी पालन से संबंधित कोई अन्य प्रमाण–पत्र/अनुभव की विवरणी :– ....

....

....

10. वर्तमान में बकरीपालन कर रहे है? (हाँ/नहीं).............................

11. यदि हाँ तो बकरीपालन करने का विवरण :– ....

....

(साक्ष्य–फोटोग्राफ सहित संलग्न करना अनिवार्य है)

10. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग बकरी फार्म की स्थापना के लिए किया जाना है)

(क) खाता :– .... (ख) खेसरा :– ....

(ग) रकबा (एकड़ में):– .... (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :– ....

(ङ) मौजा :– .... (च) ग्राम :– ....

(छ) परगना :– .... (ज) थाना :– ....

(झ) थाना नं0 :– .... (ञ) प्रखंड/अंचल :– ....

(ट) जिला :– .... भूमि के नक्शा की छाया प्रति संलग्न करें

(यदि उपलब्ध हो तो)

(ठ) भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है :– ....

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/निबंधित लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करें)

11. बकरी फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :– ....

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें)

(ख) अनुदान की राशि :– ....

(ग) अनुदान के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से)..

(घ) यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :– ....

....

(ङ0) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं/ऋण स्वीकृत हो चुका है तो बैंक का नाम, पता एवं ऋण स्वीकृति का साक्ष्य:– ....

....

(च) विशेष यदि कोई हो (निबंधन संख्या इत्यादि) :– ....

12. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :–

(क) बैंक का नाम :– ....

(ख) शाखा :– ....

(ग) खाता संख्या :– ....

(घ) आई0एफ0एस0सी0 कोड :– ....

(ङ0) पैन कार्ड संख्या :– ....

13. अनुलग्नक :–

(क) आवेदक का फोटोग्राफ

(ख) पहचान पत्र की छाया प्रति

(ग) आवास का प्रमाण पत्र

(घ) जाति प्रमाण पत्र *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)*

(ड0) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति

(च) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति

(छ) पैन कार्ड की छाया प्रति

(ज) भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/निबंधित लीज एकरारनामा की छाया प्रति/अद्यतन लगान रसीद

(झ) बकरी फार्म स्थापित करने हेतु कुल भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य

(ञ) स्वलागत से बकरी फार्म स्थापना के लिये राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य

(ट) बकरीपालन का अनुभव/प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

(ठ) ....

(ड) ....

(ढ) ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। मेरे द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान की योजना के लिए निर्धारित सभी शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि ....   **आवेदक का हस्ताक्षर**

स्थान ....   नाम – ....

....

प्रपत्र–2

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन का जाँच पत्र

*(निदेशालय स्तर पर गठित चार–सदस्यीय **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा तैयार किया जायेगा)*

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/..

आई.डी. संख्या–														

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/ आवेदन पत्र में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयी हैं (जो लागू न हों उसे काट दें) :–

1– ....

....

2– ....

....

3– ....

....

आवेदक द्वारा उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु आपत्ति समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक–...................................... के 5.00 बजे अप0 तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–.............................. को .... बजे पूर्वा0/अप0 में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। *(आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में भरा जायेगा)*

नोडल पदाधिकारी **Admin, Online Application System**	शोध पदाधिकारी, अवि–अजा शाखा, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।	प्रभारी पदाधिकारी (योजना), पशुपालन निदेशालय।	संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय।

प्रपत्र–3

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त पशुपालन निदेशालय को समर्पित किये जाना वाला **जाँच पत्र**

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/...

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तााावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

1– आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। *जो लागू न हो उसे काट दें)*

2– आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

3– कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) – ....

....

....

4–आवेदक को "निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना" हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (सदस्य)	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (अध्यक्ष)

प्रपत्र–4

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र

ज्ञापांक :– .... दिनांक :– ....

सेवा में,

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

श्री/श्रीमती/सुश्री/ ....

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा समर्पित आवेदन **(आवेदन का प्रकार – बैंक ऋण/स्वलागत)** को जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक.............................दिनांक–..) एवं पशुपालन निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक–................................ दिनांक–............ ....) के आलोक में आपको योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन चयनित किया जाता है :–

1– आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा 20 बकरी+1 बकरा क्षमता के बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना की जायेगी, जिसके आधार पर आपको अधिकतम रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) का अनुदान दिया जायेगा।

2– इस स्वीकृति पत्र के निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर आपको विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा करना होगा।

3–एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप **60 दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।

4– बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना आपके द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

5– एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **60 दिनों के अंदर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में आपका स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6– आपको अनुमान्य अनुदान (अधिकतम रूपये 1.00 लाख) की राशि का भुगतान पशुपालन निदेशालय द्वारा एकमुश्त किया जायेगा।

7–आपके द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–5)** में पशुपालन निदेशालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ आपका फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8– आपके द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय आपका स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

9– **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् आपको अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** (बकरी फार्म के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान आपको एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

12– किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–.../पटना–15, दिनांक–............................./2016

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–5

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

आई.डी. संख्या–

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या ....
दिनांक .... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....
....पिता/पति का नाम :– ....
.ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : ....
प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा
अनुदान की राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। *(जो लागू न हो उसे काट दें।)*

क्र0 सं0	मद	अनुदान राशि जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। (अंक एवं शब्दों में)
1.	कुल परियोजना लागत	
2.	कुल स्वीकृत अनुदान की राशि	

1– मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप बकरी फार्म Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना कर ली गई है तथा बकरा/बकरी का क्रय कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप बकरी फार्म (बकरी/बकरा एवं लाभुक के साथ) का फोटोग्राफ संलग्न किया जा रहा है।

2– मुझे अनुदान के रूप में रूपये ....लाख (अंक में) रूपये .... (शब्दों में) लाख का भुगतान करने की कृपा की जाये।

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

प्रपत्र–6

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जाँच पत्र

आई.डी. संख्या–														

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या ....
.दिनांक .... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....
....पिता/पति का नाम :– ....
.ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : ....
. प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : ....
.. द्वारा अनुदान राशि के भुगतान के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्थापित बकरी फार्म स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि लाभुक द्वारा बकरी फार्म निर्माण कर लिया गया है तथा बकरा/बकरी का क्रय कर लिया गया है। लाभुक द्वारा बकरी फार्म का संचालन किया जा रहा है।

(फोटोग्राफ संलग्न)

लाभुक श्री .... को अनुदान की राशि रूपये .... लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (सदस्य)	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (अध्यक्ष)